AXIS BANK रिटेल एसेट सेंटर, एक्सिस बैंक लिमिटेड, एक्सिस हाउस, टॉवर टी–2, दूसरा तल, आई–14, सेक्टर–128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जयपी ग्रीनस विसटावन, (उ.प्र.)–201301, रिटेल एसेट सेंटर, एक्सिस बैंक लिमिटेड बीएफ–1ए, 2, 3, प्रथम तल, आदित्य सिटी सेन्टर, नीति खंड–1, इंद्रापुरम, गाजियाबाद–201012, एक्सिस बैंक लिमिटेड, हिमालया हाउस, ऊपरी भूतल और प्रथम तल, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001, कॉर्पोरेट कार्यालय : ब्लॉक–बी, बॉम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउंड, पांडुरंग बुधाकर मार्ग, वरली, मुंबई–400 025 पंजीकृत कार्यालय : 'त्रिशूल', तीसरा तल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गॉर्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380006

मांग सूचना

जबकि निम्नलिखित वर्णित उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधकों ने एक्सिस बैंक लिमिटेड से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी, वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के बावजूद, उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधकों ने नियत दिनांकों के अनुसार मूलधन के पुनर्भुगतान और ब्याज के पुनर्भुगतान में विभिन्न चूक की है। एक्सिस बैंक के प्राधिकृतअधिकारी के परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार यहां वर्णित संबंधित दिनांकों पर खाते को गैर–निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत निम्न वर्णित संबंधित दिनांकों पर माग सूचना जारी की गई हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधकों को सूचना में वर्णित राशि का भुगतान संविदात्मकदर पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक से 60 दिनों के भीतर भुगतान की दिनांक तक भविष्य के ब्याज और आकस्मिक व्ययों, लागतों, प्रभारों आदि के सहित करने को कहा गया। उनके अंतिम ज्ञात पते पर सूचना जारी की गई थी, उन्हें असेवित वापस कर दिया गया है और इस प्रकार उन्हें इसके बारे में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।

उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं और गारंटरों का नाम/पता	एनपीए दिनांक /मांग सूचना की दिनांक सूचना दिनांक अनुसार राशि (रू.)/ ऋण राशि (रुपये)
1. श्री महेश कुमार (उधारकर्ता) 227 संभव कॉलोनी मण्डी पटहारी नई दिल्ली – 110047, 2. श्री अरूण कुमार (सह–उधारकर्ता) 227 संभव कॉलोनी मण्डी पटहारी नई दिल्ली – 110047, प्रत्याभूत परिसंपत्ति का पता: फ्लैट सं. 505 अलनास अटलांटिक्स इंदौर इंदौर, सीमांकन निम्न प्रकार : पूर्व : साईट प्लान अनुसार, पश्चिम : साईट प्लान अनुसार, उत्तर : साईट प्लान अनुसार, दक्षिण : साईट प्लान अनुसार,	09 जनवरी, 2017/ 31 जुलाई 2026 रुपये 66,08,856/– (रुपये छियासठ लाख आठ हजार आठ सौ छप्पन मात्र)/ रू.36,47,636/–

पूर्वोक्त परिस्थितियों में, उपर्युक्त उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं और/या उनके गारंटरों (जहां कभी भी लागू हो) को सलाह दी जाती है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक 60 दिनों के भीतर भविष्य के ब्याज और लागू प्रभारों के साथ बकाया राशि का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है, जिसमें विफल रहने पर वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) और उसके लागू नियमों के अनुसार उधारकर्ताओं और बंधकों की प्रत्याभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध इस सूचना की दिनांक के 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे के कदम उठाए जाएंगे, जिसमें प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का कब्जा लेना भी शामिल है। सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत आप उद्धरण आमंत्रित करके, निविदा या निजी संधि से सार्वजनिक नीलामी द्वारा प्रत्याभूत परिसंपत्ति(यों) की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन की दिनांक तक ही बैंक द्वारा सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों के साथ बकाया देय राशि की पूरी राशि का भुगतान कर सकते हैं। कृपया यह भी ध्यान दें कि यदि बैंक द्वारा की गई लागत, शुल्क और व्ययों के साथ सार्वजनिक नीलामी द्वारा प्रत्याभूत परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन से पहले उद्धरण आमंत्रित करके, निविदा या निजी संधि से बकाया राशि की पूरी राशि निविदा नहीं दी जाती है, तो आप प्रत्याभूत परिसंपत्ति(यों) को छुड़ाने के हकदार नहीं होंगे। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको हमारी लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपर्युक्त प्रतिभूतियों को स्थानांतरित करने से रोका जाता है।

स्थान: इंदौर, दिनांक : 08.09.2026 हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लिमिटेड

Sitaara

सितारा हाउसिंग फाइनेंस लि.

(पूर्व में सेवा गृह ऋण लि. नाम से ज्ञात)

पंजीकृत कार्यालय : पहली मंजिल, 216/सी–12 पुराना नं.सी–12, प्लॉट नं.13–बी, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092–भारत

मांग सूचना

सिक्यूरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रस्ट एक्ट 2002 के साथ सपठित सिक्यूरिटी इंट्रस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 का नियम 3(1) के साथ धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना सिक्यूरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रस्ट एक्ट 2002 (उपरोक्त कानून) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता सितारा हाउसिंग फाइनेंस लि. के प्राधिकृत अधिकारी है। उपरोक्त कानून की धारा 13(12) के साथ सपठित सिक्यूरिटी इंट्रेस्ट (इंफोर्समेंट) एक्ट, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे वर्णित निम्न ऋणकर्ता (ओं) (उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं)) को संबंधित मांग सूचना (ओं) में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए बुलाये जाने के लिए जारी की गई थी। उपरोक्त संबंध में एक बार पुनः उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं) को पुनः सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिवस के अंदर नीचे वर्णित राशि के साथ नीचे वर्णित दिनांक से भुगतान की दिनांक एवं / या पुर्नप्राप्ति तक लागू मय ब्याज के उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं) से किए गए ऋण अनुबंध के साथ अन्य दस्तावेजो / लिखित में यदि कोई हो, के अंतर्गत देय राशि का भुगतान करें। जैसा कि ऋण के पुर्नभुगतान की जमानत के लिए निम्न संपति को उपरोक्त संबंधित ऋणकर्ता (ओं) द्वारा सितारा हाउसिंग फाइनेंस लि. को गिरवी रखा गया है।

क्र.	उधारकर्ताओं एवं सह–उधारकर्ता/जमानतदार के नाम	मांग पत्र की दिनांक एवं मांग राशि
1	ऋण खाता क्र. H2CP000005019683, 1. श्री ललित प्रजापत पिता श्री नन्दकिशोर (ऋणी), 2. श्रीमती दीक्षा प्रजापत पति श्री ललित प्रजापति (सह–ऋणी)	03-09-2026 ₹ 31,48,951.63, दिनांक 03-09-2026 तक
	संपति का विवरण (अचल संपति): मकान नं. 139, न्यू कैलाशपुरी कॉलोनी, तहसील व जिला इंदौर, मध्य प्रदेश - 452010 क्षेत्रफल: 500 वर्गफुट, चर्तुःसीमाएँ: पूर्वः खाली जमीन, पश्चिमः रोड, उत्तरः प्लॉट नं. 140, दक्षिणः प्लॉट नं. 138	
2	ऋण खाता क्र. H3CP000005019962, 1. श्री चंदन पिता श्री फूलन (ऋणी), 2. श्रीमती अनिता धिड़ार पति श्री चंदन (सह–ऋणी)	03-09-2026 ₹ 15,65,675.9 दिनांक 03-09-2026 तक
	बंधक संपति का विवरण (अचल संपति): प्लॉट नं. ए 246, खसरा नं. 50/1/1, पटवारी हल्का नं. 16/00030, ग्राम चोपड़ा कलां, भोपाल, मध्य प्रदेश - 462010 क्षेत्रफल: 600 वर्गफुट चर्तुःसीमा:- पूर्वः अन्य भूमि, पश्चिमः रास्ता/रोड, उत्तरः प्लॉट नं. ए 245, दक्षिणः प्लॉट नं. ए 247	

यदि उपरोक्त ऋणकर्ता उपरोक्त राशि का सितारा हाउसिंग फाइनेंस लि. को भुगतान करने में असफल रहते है तो सितारा हाउसिंग फाइनेंस लि. उपरोक्त संपति के विरुद्ध कानून की धारा 13(4) एवं लागू नियम के अंतर्गत ऋणकर्ता के पूर्ण जोखिम मूल्य एवं परिणाम पर कार्यवाही करेगी। उपरोक्त ऋणकर्ताओं को कानून के अंतर्गत संपति का विक्रय, किराया या अन्य प्रकार से बिना सितारा हाउसिंग फाइनेंस लि. के लिखित अनुमति के बिना हस्तांतरित करने पर प्रतिबंधित किया जाता है कोई व्यक्ति जो कि उपरोक्त कानून या नियम में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन या उल्लंघन करने को बढ़ावा देता है उसे उपरोक्त कानून के अंतर्गत प्रदत्त जुर्माना या / एवं कारावास के लिए दंड दिये जाने के योग्य होगा।

स्थान : मध्य प्रदेश प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक : 08.09.2026 सितारा हाउसिंग फाइनेंस लि. (पूर्व में सेवा गृह ऋण लि. नाम से ज्ञात)

---

equitas Small Finance Bank

इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

(पूर्व में इक्विटास फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

पंजीकृत कार्यालयः नंबर 769, स्पेंसर प्लाजा, चौथी मंजिल, फेज– II, अन्ना सलाई, चेन्नई – 600002

मांग सूचना – सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ता/ओं ने इक्विटास हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (ईएचएफएल) / इक्विटास फाइनेंस लिमिटेड (ईएफएल) / इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ईएसएफबी) से ऋण लिया है। उक्त उधारकर्ता किस्तों का भुगतान करने में विफल रहे हैं और उनके ऋण खाते को आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सुरक्षित अचल संपत्ति/संबंधों, ऋण और उधारकर्ता द्वारा देय तारीख तक बकाया राशि का विवरण नीचे उल्लिखित है। उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, सुरक्षित ऋणदाता ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित उधारकर्ताओं के खिलाफ और उक्त संपत्ति से निपटने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है इस नोटिस के 60 (साठ) दिनों के भीतर उनके नाम के सामने दर्शाई गई बकाया राशि को चुकाने में विफल रहने पर, अधोहस्ताक्षरी सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत किसी एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपत्ति/संपत्तियों पर कब्जा करना और उसे बेचना की शक्ति भी शामिल है।

क्र. सं.	उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) का नाम (शाखा का नाम)	मांग सूचना की तिथि और राशि	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
1	शाखाः उज्जैन 700010446315 उधारकर्ताः श्री/श्रीमती देवकरण जाटवा सह–उधारकर्ताः श्री/श्रीमती संतोष जाटवा	21.07.2026 रु. 6,98,505/–	मकान नंबर 2, सर्वे नंबर 25/3, ग्राम पंवासा, मैक्सी रोड, उज्जैन (म.प्र.) में स्थित कुल क्षेत्रफल :– 74 वर्ग मीटर, माप : 796, विस्तार वर्गफुट : 796, पंजीयन जिला : उज्जैन, पंजीयन कार्यालय : उज्जैन, उत्तर में : श्री पंकज, दक्षिण में : नाला, पूर्व में : श्री कमल सिंह, पश्चिम में : श्री नागेश।
2	शाखाः बालाघाट 700011466733 उधारकर्ताः श्रीमती.कमला बाई शेंडे सह–उधारकर्ताः श्रीमती.उमाशेंडे, श्री.संजू राइकुमार	31.07.2026 रु. 2,38,557/–	"संपत्ति स्वामी : कमला बाई शेंडे मोरवाही में स्थित भूमि का वह समस्त टुकड़ा और पार्सल, खसरा नं. 145/1 (एस), रकबा –0.008 हेक्टेयर 7861 वर्ग फुट, पी.एच.एन.ओ.27 आर एन एम –तहसील–किरनापुर जिला–बालाघाट और बालाघाट के उप–पंजीयन जिले और बालाघाट के पंजीयन क्षेत्र के अंतर्गत स्थित। कुल क्षेत्रफल (वर्ग फुट): 861.0, उत्तर में : मंगरूलाल कोटवार, दक्षिण में : सड़क, पूर्व में : सुधा, पश्चिम में : मनोहर की भूमि"
3	शाखाः छिंदवाड़ा SECNDWR0413133/200001884209 उधारकर्ताः श्री/श्रीमती विक्रम पवार सह–उधारकर्ताः श्री/श्रीमती नंदिका मसराम श्री/श्रीमती नारायण राव पवार	21.07.2026 रु. 34,43,764/–	संपत्ति का वह समस्त भाग एवं पार्सल, जिसमें भूमि एवं भवन, क्षेत्रफल– 2600 वर्गफुट, का भाग राजस्व सर्वेक्षण क्रमांक–493/2, स्थित– मौजा लोनिया करबल, बी.नं–526, पी.एच.नं–19, सर्किल–छिंदवाड़ा–2, तहसील एवं जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, उत्तर में : 20 फीट कच्ची सड़क, दक्षिण में : रामविलास रघुवंशी का प्लॉट, पूर्व में : आर.एन यादव का प्लॉट, पश्चिम में : विक्रेता का शेष प्लॉट

दिनांक – 08.09.2026, स्थान – मध्यप्रदेश प्राधिकृत अधिकारी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

ESAF SMALL FINANCE BANK

Regd Office: ESAF Bhavan Mannuthy, Thrissur - 680 651, Kerala

कब्जा सूचना (नियम 8(1))

जबकि निम्नहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत नियुक्त ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, संबंधित ऋणधारक/बंधककर्ता/जमानतदारों में से प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथि को धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी कर उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/बंधककर्ता/जमानतदार राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/बंधककर्ता/जमानतदारों और आम जनता को सूचना दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते में उल्लिखित तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक/बंधककर्ता/जमानतदारों और आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति/संपत्तियों का लेनदेन न करें और संपत्ति/संपत्तियों का कोई भी लेनदेन ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

ऋणधारक/बंधककर्ता/जमानतदारों का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

ऋण खाता संख्या एवं शाखा : 71250000016233 – इंदौर

ऋणधारक/सह–ऋणधारक(कों)/जमानतदार(रों) के नाम एवं पते : (1) **विनोद पाल** पुत्र मदनलाल पाल, 322, महाराणा प्रताप नगर, मुख्य मार्ग, सांवेर इंडस्ट्रियल एरिया, इंदौर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश–452015, दूरभाष : 9977006180 (2) पुष्पा पाल पत्नी विनोद पाल, 322, महाराणा प्रताप नगर, मुख्य मार्ग, सांवेर इंडस्ट्रियल एरिया, इंदौर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश–452015, दूरभाष : 9009966180

मांग सूचना की तिथि : 18/05/2026 | कब्जा लेने की तिथि : 02–09–2026

बकाया राशि : (05–05–2026 के अनुसार) रु. 34,93,813.07/– (रुपये चौंतीस लाख तिरानवे हजार आठ सौ तेरह और सात पैसे मात्र) तथा 06.05.2026 से अर्जित ब्याज, भावी ब्याज एवं अन्य प्रभार।

प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरण : विक्रय विलेख संख्या MP7IGR17512025A100978713, तिथि 30.10.2025 के अनुसार प्लॉट नंबर 132 एवं 133 दोनों का कुल क्षेत्रफल 1250 वर्ग फीट, आवासीय प्लॉट नंबर 132 एवं 133, पलक सिटी कॉलोनी, वार्ड नंबर 12, सर्वे नंबर 847/2/4, 849/4, 847/2/3, 849/3, 847/2/5, 847/2/2, 849/2, 847/2/7, 849/5 एवं 847/2/6, पटवारी हल्का नंबर 4/1, ग्राम तेलीखेड़ा, तहसील महू, जिला इंदौर (म.प्र.) का वह संपूर्ण टुकड़ा एवं भूखंड। **प्लॉट नंबर 132 की सीमाएं विक्रय विलेख सं: MP7IGR17512025A100978713 के अनुसार :– पूर्व** : कॉलोनी रोड, **पश्चिम** : प्लॉट नंबर 114, उत्तर : प्लॉट नंबर 133, **दक्षिण** : प्लॉट नंबर 131। **प्लॉट नंबर 133 की सीमाएं विक्रय विलेख सं: MP7IGR17512025A100978713 के अनुसार :– पूर्व** : कॉलोनी रोड, **पश्चिम** : प्लॉट नंबर 113, उत्तर : प्लॉट नंबर 134, **दक्षिण** : प्लॉट नंबर 132।

तिथि : 05–09–2026 (हस्ता./–) प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : इंदौर ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

शुभम्

शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

कार्पो. कार्यालय : 425, उद्योग विहार फेस -IV, गुरुग्राम -122015 (हरियाणा)

फोन: 0124-4212530/31/32, ईमेल : customercare@shubham.co, वेबसाईट - www.shubham.co

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (इसमें आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

यह आपको सूचित किया जाता है कि धरोहर ऋणकर्ता **शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कंपनी लिमिटेड** जिसका पंजीकृत कार्यालय 608, 609, छठवीं मंजिल, ब्लॉक–सी अंसल एम्पेरियल टॉवर, कम्युनिटी सेन्टर, नारायणा विहार, न्यू दिल्ली–110028 (इसके पश्चात 'एसएचडीएफसीएल' के रूप में संबोधित) द्वारा आपके ऋण खाते को एनपीए के तौर पर घोषित कर चुका है एवं एसएचडीएफसीएल के आपके ऋण खाते के विरूद्ध संपूर्ण ऋण का भुगतान करने के उत्तरदायी है। आपको उपरोक्त राशि पर अनुबंध दर पर लागू भविष्य ब्याज के साथ प्रासंगिक व्यय, मूल्य, शुल्क आदि का भुगतान करने के उत्तरदायी है। इसलिए इस सूचना के दिनांक से 60 दिवस में एसएचडीएफसीएल को आपके संपूर्ण दायित्व का भुगतान करने के लिए आपको बुलाया जाता है असफल रहने पर एसएचडीएफसीएल को कानून की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम होगी। ऋणकर्ताओं एवं धरोहर संपति का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. स.	ऋण खाता क्र. ऋणकर्ता (ओं) का नाम	ऋणी का पता	मांग सूचना दिनांक एवं मांग राशि	सुरक्षित संपत्ति
1	लोन नं. 0BHP2501000005099112, आरिफ, सीमा खान	मकान नंबर टी–3 मंजर अपार्टमेंट खानू गांव, भोपाल, मध्य प्रदेश – 462030	10-08-2026 एवं ₹ 10,71,607/-	प्लॉट नं. बी –57, खसरा नं. 28/1 (एस) का भाग, प.ह. नं. 18, रोज सिटी फेस 2 वार्ड नं. 79, ग्राम लांबा खेड़ा प.ह.नं. 18 तह. हुजूर एवं जिला, भोपाल, मध्य प्रदेश – 462038, क्षेत्रफल– 55.76 वर्ग मीटर, चतुर्सीमाः पूर्व – प्लॉट संख्या बी–40, पश्चिम – रास्ता, उत्तर – प्लॉट संख्या बी–58, दक्षिण – प्लॉट संख्या बी–56

स्थान : गुड़गाँव प्राधिकृत अधिकारी

दिनांकः 07-09-2026 शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

BAJAJ FINANCE

बजाज फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बजाज फाइनेंस लिमिटेड, सी/ओ बजाज ऑटो लिमिटेड कॉम्प्लेक्स, मुंबई पुणे रोड, आकुर्डी, पुणे – 411035

शाखा कार्यालय : बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश – 284001

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

अधोहस्ताक्षरी, मेसर्स बजाज फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, एतद्द्वारा उन ऋणधारकों/सह–ऋणधारकों को निम्नलिखित सूचना देता है जो बजाज फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उन्हें दिए गए गृह ऋणों/संपत्ति पर ऋणों के संबंध में अपनी देनदारियों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं, अर्थात् मूल धन के साथ–साथ उस पर अर्जित ब्याज तथा अन्य शुल्कों के पुनर्भुगतान में व्यतिक्रम किया है तथा जिसके परिणामस्वरूप ऋण गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां बन गए हैं। तदनुसार, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) तथा उसके नियमों के अंतर्गत उनके अंतिम ज्ञात पतों पर सूचनाएं जारी की गई थीं, हालांकि वे बिना तामील/अवितरित वापस लौट आई हैं, इसलिए ऋणधारकों/सह–ऋणधारकों को इस प्रकाशन सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे समय–समय पर अपने द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधाओं के अंतर्गत अपनी बकाया देनदारियों का भुगतान करें।

ऋण खाता संख्या / ऋणधारक(कों) / सह–ऋणधारक(कों) / जमानतदार(रों) के नाम तथा पते	प्रतिभूत अचल संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि तथा राशि
लैन : P397PBL9201090 तथा P397PBL14386438 **1. एमएस जंकरदारा ट्रैक्टर पार्ट्स, अपने प्रोपराइटर स्व. प्रेम सिंह के माध्यम से, अपने कानूनी वारिसों (i) सिंगर दुलैया (ii) महिरवान सिंह (iii) अभिषेक प्रताप सिंह (iv) रवि प्रताप सिंह के माध्यम से, निवासी** : 01, क्योलारी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403, संपर्क : 8953749310, **ई–मेल** : 67abhishek1997@gmail.com, अन्य पता : निवासी– अरजी संख्या 408, ग्राम रनगांव, परगना महावरा, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश – 284404। **2. सिंगर दुलैया पत्नी प्रेम सिंह, 3. स्व. प्रेम सिंह पुत्र धीरेंद्र सिंह, अपने कानूनी वारिसों (i) सिंगर दुलैया (ii) महिरवान सिंह (iii) अभिषेक प्रताप सिंह (iv) रवि प्रताप सिंह के माध्यम से, क्रम संख्या 2 तथा 3 दोनों का पता** : निवासी : क्योलारी / क्योलरी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश – 284405, संपर्क : 8953749310, ई–मेल : 67abhishek1997@gmail.com	ग्राम रनगांव, परगना महावरा, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश – 284404 में स्थित अरजी संख्या 408 (नगर पंचायत के पत्र के अनुसार) पर स्थित प्लॉट का संपूर्ण भूखंड तथा भाग, आम क्षेत्रों में आनुपातिक हिस्से के साथ (कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट)। सीमाएं :– पूर्व : राम दयाल का मकान; पश्चिम : मुन्ना लाल तथा धनीराम का मकान; उत्तर : 12 फीट चौड़ी सड़क; दक्षिण : प्रकाश का मकान।	**14.08.2026 तथा रु. 30,83,566/– (रुपये तीस लाख तिरासी हजार पांच सौ छियासठ मात्र) 14.08.2026 के अनुसार**

यह कदम सूचना की स्थानापन्न तामील के लिए उठाया जा रहा है। उपरोक्त ऋणधारकों/सह–ऋणधारकों, जमानतदारों को सलाह दी जाती है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भविष्य के ब्याज सहित बकाया राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर (बजाज फाइनेंस लिमिटेड के पास उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूत परिसंपत्तियों / बंधक संपत्ति का कब्जा लेने के लिए आगे के कदम शुरू किए जाएंगे। ऊपर नामित पक्षों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त संपत्तियों को हस्तांतरित न करें और न ही उनमें कोई तृतीय–पक्ष हित सृजित करें, जिन पर बजाज फाइनेंस लिमिटेड का प्रभार है।

तिथि : 08–09–2026 हस्ता./–प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : ललितपुर (उ. प्र.) बजाज फाइनेंस लिमिटेड

TCPL TECHFINO CAPITAL PVT LTD

टेकफिनो कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

पहली मंजिल स्मार्टवर्क्स डीएसआर टेक्नोपार्क, वरथुर रोड, थुबराहल्ली बैंगलोर -560037

वेब: www.techfino.in सीआईएन - U65999KA2018PTC114532

कब्जा नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें] के अनुसार

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत **मेसर्स टेकफिनो कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड** के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण खाता संख्या **DWS001–000001256** के तहत: **1)श्री बलवंत सिंह सेंधव 2)श्रीमती कमल बाई सेंधव ,3)श्रीमती बसंता बाई 4) श्री चंदर सेंधव** (को एक मांग सूचना धारा 13(2) दिनांक **10/06/2026** जारी कर, उक्त सूचना में उल्लिखित राशि **₹22,30,946/- (बाईस लाख तीस हजार नौ सौ छियालीस रुपये मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने हेतु सूचित किया था।

उक्त ऋणकर्ता राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतः एतद्द्वारा ऋणकर्ताओं और आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज **दिनांक 29 अगस्त, 2026** को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

ऋणकर्ताओं को विशेष रूप से और आम जनता को सामान्य रूप से एतद्द्वारा आगाह किया जाता है कि वे इस संपत्ति के संबंध में कोई लेनदेन न करें, तथा इस संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेनदेन मेसर्स टेकफिनो कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में **₹22,30,946/-(बाईस लाख तीस हजार नौ सौ छियालीस रुपये मात्र)** और उस पर देय ब्याज के भार (प्रभार) के अधीन होगा।

ऋणकर्ताओं का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर भी आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति आईडी संख्या 10418202309953848 वाली संपत्ति का संपूर्ण भू–भाग, जो पटवारी हल्का नं. 16, पी.एच. नं. 16 (सर्वे नं. 1192), मकान नं. 48, ग्राम देहरिया आभा, तहसील हाटपीपल्या, जिला देवास, मध्य प्रदेश राज्य – 455223 पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 362.45 वर्ग मीटर, भूतल है, तथा जिसकी सीमाएँ निम्नानुसार हैं: **पूर्व :** सड़क, **पश्चिम :** जीवनसिंह पिता कालसिंह की कृषि भूमि, **उत्तर :** बिजनसिंह पिता हरिसिंह का मकान, **दक्षिण :** स्वयं का प्लॉट / निजी प्लॉट

दिनांक: 29/08/2026 अधिकृत अधिकारी

स्थान: देवास नोट: विवाद की स्थिति में, इस नोटिस का अंग्रेजी अनुवाद मान्य माना जाएगा। मेसर्स टेकफिनो कैपिटल प्राइवेट

अलकैमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

सीआईएन नं: U74999DL2002PLC117052

ए–270, पहली और दूसरी मंजिल, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली–110024

ई–मेल : admin@alchemistarc.com, वेबसाइट www.alchemistarc.com

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित सरफासी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत)

जबकि, अलकैमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एसाइनमेंट करार दिनांकित अधोलिखित द्वारा एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड का एसाइनी) के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्गठन और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 [नियम 3] के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर मांग नोटिस दिनांकित जारी किया था जिसमें कर्जदार से नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त मांग नोटिस प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अन्दर अदा करने के लिए कहा गया।

कर्जदार द्वारा राशि अदा न कर पाने पर, एतद्द्वारा कर्जदार और जन सामान्य को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। कर्जदार(ओं)/जमानती(ओं) और सर्व साधारण को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई भी लेन–देन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन राशि और इस पर ब्याज के लिए अलकैमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	कर्जदार(ओं)/ सह–कर्जदार(ओं)/ जमानती(ओं) के नाम	मांग नोटिस की तारीख और देय राशि (₹)	13(4) नोटिस की तारीख	प्रत्याभूत परिसंपत्ति का विवरण	देय तारीख
1	PR01093901 & PR01125043	कुशवाहा सब्जी एंड फ्रूट्स, सत्येन्द्र कुमार कुशवाहा, सरिता देवी कुशवाहा	11 मार्च, 2026 और रु. 14,69,958/-	3 सितंबर, 2026	प्लॉट नं. 177–ए, "राधे विहार कॉलोनी", इंदौर, माप 500 वर्ग फुट, मध्य प्रदेश–452001। **पूर्व** अन्य प्लॉट, **पश्चिम** रोड, **उत्तर** प्लॉट नं. 177, **दक्षिण** शंभू दयाल का मकान	7 नवंबर, 2025
2	PR01042336	पूजा दूध डेयरी, पूजा बाई, लक्षण दोद	9 मार्च, 2026 और रु. 12,94,748/-	3 सितंबर, 2026	मकान नं. 149, पी.एच. नं. 28, गाँव हरनासा, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश–452001। **पूर्व** वासुदेव का मकान, **पश्चिम** प्रेम सिंह का मकान, **उत्तर** कॉमन रोड, **दक्षिण** स्वयं की जगह	30 सितंबर, 2025

कर्जदार(ओं)/जमानती(ओं) को एतद्द्वारा यह चेतावनी दी जाती है कि वे ऊपर बताई गई प्रत्याभूत परिसंपत्ति(यों) का प्रत्याभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना कोई लेन–देन न करें या बिक्री, पट्टे, बंधक, उस पर कोई भार या किसी अन्य तरीके से न ही उसका निपटारा करें।

यह प्रकाशन सरफासी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुपालन में, कर्जदार(ओं)/जमानती(ओं) और सर्व साधारण की जानकारी के लिए किया गया है।

किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया अधोहस्ताक्षरी व्यक्ति से निम्नलिखित संपर्क विवरणों पर संपर्क करें:

फोन 011–46562584 ईमेल: admin@alchemistarc.com, ashutosh@alchemistarc.com

दिनांक:– 08.09.2026 हस्ता./–प्राधिकृत अधिकारी

स्थान:– मध्य प्रदेश अलकैमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

(अलकैमिस्ट XLVII ट्रस्ट के ट्रस्टी की क्षमता से कार्यरत) प्रत्याभूत ऋणदाता

PhoenixARC

फीनिक्स एआरसी लिमिटेड

(पूर्व की फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालय : 3सरी मंजिल, वालेस टॉवर्स (पूर्व का शिव बिल्डिंग), 139/140/बी/1, सहार रोड क्रॉसिंग एवं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, विले पार्ले (पू.) मुम्बई–400057

कब्जा सूचना

जबकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत मैसर्स फीनिक्स एआरसी लिमिटेड (पूर्व की फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड) (नीचे तालिका में उल्लिखित फीनिक्स ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत) (फीनिक्स) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों, सह–कर्जदारों, जमानतियों को एक माँग सूचना जारी कर सम्बद्ध कर्जदारों, सह–कर्जदारों, जमानतियों से माँग सूचना प्राप्त करने की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सूचना में वर्णित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहा था। कथित कर्जदारों, सह–कर्जदारों, जमानतियों के बकाया राशि के भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्द्वारा विशेषकर कर्जदारों, सह–कर्जदारों, जमानतियों एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि कम्पनी के अधिकृत प्राधिकारी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों अधिकारों का उपयोग करते हुए संलग्न तिथियों पर यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा अपने पास ले लिया है। विशेषकर कर्जदारों, सह–कर्जदारों, जमानतियों एवं आम जनता को सावधान किया जाता है कि सम्पत्ति के साथ कोई लेन–देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेन–देन फीनिक्स की सम्बद्ध तिथियों से उसमें निर्दिष्ट राशि तथा उस पर भावी ब्याज, लागतों एवं प्रभारों के अधीन होगा।

कर्जदारों, सह–कर्जदारों, जमानतियों, गिरवीकृत सम्पत्ति, ट्रस्ट का नाम, बकाया राशि, धारा 13(2) के अधीन भेजी गयी माँग सूचना तथा उसके तहत दावाकृत राशि के विवरण नीचे दिये गये हैं :

ट्रस्ट का नाम	कर्जदारों, सह–कर्जदारों का नाम एवं पता, ऋण खाता सं., ऋण की राशि	प्रतिभूतियों का विवरण	1. माँग सूचना की तिथि 2. कब्जा करने की तिथि 3. बकाया राशि रु. में
फीनिक्स ट्रस्ट एफवा 20–21 के ट्रस्टी	दीपक कोरी (पुत्र/पुत्री/पत्नी मुन्नी बाई) ए/बी रोड, बदरवास वार्ड क्रमांक 9, कटरा मोहल्ला शिवपुरी, मध्य प्रदेश, (भारत)–473885 मुन्नी बाई (पुत्र/पुत्री/पत्नी दीपक कोरी) ए/बी रोड बदरवास वार्ड नंबर 9, कटरा मोहल्ला बड़ा डोंगर, बदरवास, शिवपुरी, मध्य प्रदेश, (भारत)–473885 ऋण खाता संख्या: **LXGUN00417-180055773** स्वीकृत ऋण राशि: रु. 3,13,588/- (रुपये तीन लाख तेरह हजार पांच सौ अट्ठासी मात्र)	गिरवी रखी गई सम्पत्ति का पूरा हिस्सा: पीएच. नं. 17, सर्वे नं. 557, वार्ड नं. 9, कटरा मोहल्ला, बदरवास, शिवपुरी, मध्य प्रदेश – 473885	1) माँग सूचना की तिथि 24–05–2019 2) भौतिक कब्जे की तिथि– 03–09–2026 3) देय राशि रु. 3,36,006 (रुपये तीन लाख छत्तीस हजार छह मात्र), जो 24–05–2019 तक देय है और जिस पर 25–05–2019 से पूरा भुगतान होने तक लागू ब्याज।
फीनिक्स ट्रस्ट एफवा 21–14 के ट्रस्टी	जगराम रतन लाल कुशवाह (पुत्र/पुत्री/पत्नी रतन लाल कुशवाह) वार्ड नंबर 02, इंद्रा कॉलोनी, बूढ़ा डूंगर, शिवपुरी, बदरवास, शिवपुरी, मध्य प्रदेश – 473885 हेमवती जगराम सिंह कुशवाह (पुत्र/पुत्री/पत्नी रतन जगराम सिंह कुशवाह) वार्ड क्रमांक 02, इंद्रा कॉलोनी, बूढ़ा डूंगर, शिवपुरी, बदरवास, शिवपुरी, मध्य प्रदेश – 473885 ऋण खाता संख्या: **LXGUN00316-170048113** स्वीकृत ऋण राशि: रु.15,76,952/- (रुपये पंद्रह लाख छिहत्तर हजार नौ सौ बावन मात्र)	गिरवी रखी गई सम्पत्ति का पूरा हिस्सा: पीएच. नं. 38, सर्वे नं. 8474 एमआईसीएन 3, कोलारस, बदरवास, शिवपुरी, मध्य प्रदेश – 473885	1) माँग सूचना की तिथि 15–11–2019 2) भौतिक कब्जे की तिथि– 03–09–2026 3) देय राशि रु. 16,22,549 (रुपये सोलह लाख बाईस हजार पाँच सौ उनचास मात्र), जो 12–11–2019 तक देय है और जिस पर पूरा भुगतान होने तक लागू ब्याज।

स्थान : मध्य प्रदेश अधिकृत प्राधिकारी

तिथि : 08.09.2026 कृते फीनिक्स एआरसी लिमिटेड

अनुवाद में त्रुटि या विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। (पूर्व की फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड)

SHRIRAM Finance

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : श्री टॉवर प्लॉट नं. 14ए, साउथ फेज, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई - 600032, तमिलनाडु, भारत | दूरभाष: +91-44-485 24 666.

प्रशासनिक कार्यालय: - छठी मंजिल (स्तर-2) बिल्डिंग नंबर क्यू 2, ऑरेक्स्यू पार्क, जनरल 4 1 टीआईसी, ठाणे बेलापुररोड, घनसोली, नवीमुंबई-400710, महाराष्ट्र दूरभाष-022-40957575।.

क्षेत्रीय कार्यालय: - प्लॉट नं. 48, दूसरी मंजिल, एमपी नगर जोन-2, भोपाल - 462011

शाखा का पता - 58/4, आर एस भंडारी मार्ग, शैल्बी हॉस्पिटल के पास, पीएनबी बैंक के ऊपर इंदौर, मध्य प्रदेश - 452003

कब्जा सूचना

अचल संपत्ति के लिए नियम 8 (1).

यह कि, सिक्योरिटाइज़ेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ़ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, २००२ (SARFAESI Act - 2002) के तहत श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, नीचे हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति ने सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 11/06/2026 को एक माग नोटिस जारी किया था।

इस नोटिस के माध्यम से (उधारकर्ता/गिरवीकर्ता नं.- **1) मैसर्स मोबाईल शॉप प्रोपराइटर श्री. आमिर निज़ामुद्दीन कुरेशी पुत्र वाहिद नूर कुरेशी, (गारंटर-1) रुकसाना बी/ओ वाहिद नूर कुरेशी, (गारंटर-2) आयशा पत्नी आमिर निज़ामुद्दीन कुरेशी (गारंटर-3) मोहम्मद आसिफ खान पुत्र मुस्तकिन खान, (लोन अकाउंट नंबर – CDINDTF2201290001)** को उक्त नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि यानी **₹ 43,95,498/-(रुपये तैंतालीस लाख पंचानवे हजार चार सौ अठानवे रुपये मात्र)** चुकाने के लिए कहा गया था।

यह कि उधारकर्ता और गारंटर राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिए इसके द्वारा उधारकर्ता/गारंटीर और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2026 के सितम्बर महीने के दूसरे दिन, नियमों के नियम 8 के साथ पठित, नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को विशेष रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे इस संपत्ति का कोई लेन-देन न करें: संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के **₹ 43,95,498/-(रुपये तैंतालीस लाख पंचानवे हजार चार सौ अठानवे रुपये मात्र)** और उस पर लगने वाले ब्याज के दावे के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

अचल संपत्ति, यानी आरसीसी निर्माण वाला वह हिस्सा और टुकड़ा जिसका कुल क्षेत्रफल 204.46 वर्ग मीटर (ग्राउंड फ्लोअर+फर्स्ट फ्लोर) है। यह निर्माण कुल 139.40 वर्ग मीटर जमीन में से 102.23 वर्ग मीटर जमीन पर किया गया है। यह प्लॉट नंबर 169 है, जिसकी हाउस / प्रॉपर्टी आयडी 1004059872 है। यह संपत्ती मौजा / ग्राम - खजराना में स्थित है और वार्ड नंबर 39, ज़ोन नंबर 10, साउथ शेरशाह सूरी नगर (नगर निगम इंदौर की सीमा के भीतर, तहसील और जिला इंदौर) में आती है। सम्पत्ती की चौहद्दी (सीमाएं): पूर्व दिशा की ओर - मकान नंबर 168, पश्चिम दिशा की ओर- सड़क दक्षिण दिशा की ओर- अन्य जमीन, उत्तर दिशा की ओर - इस प्लॉट का बचा हुआ हिस्सा

1) उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा के उप-खंड (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

पूर्ण और अंतिम निपटान (Full and Final Settlement) से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिए कृपया **संपर्क करें:-श्री नितिन गुप्ता (मोबाइल नं. 9827381065) - प्राधिकृत अधिकारी-श्री शैलेंद्र कायत (मोबाइल नं. 9926668801), श्री अनीस शेख (मोबाइल नं. 8888186008), श्री विजय अगले (मोबाइल नं. 9850836090).** श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

तारीख: 02/09/2026 प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : इंदौर श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

(जिसे पहले श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था.)

DMI HOUSING FINANCE

डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

एक्सीबी हाउस, गुलाब भवन, दूसरी मंजिल, 6, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002

फोन: +91-011-66107107, 011-69223700

ईमेल: vinay.sharma2@dmihousingfinance.in, www.dmihousingfinance.in

निजी संधि के द्वारा ई–नीलामी विक्रय सूचना (सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना। एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता/ओ एवं गारंटर/रो को निम्न वर्णितानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सूचित किया जाता है कि डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (प्रतिभूत ऋणदाता) के पास बंधककृत अधोवर्णित संपत्तियों का अधिग्रहण पहले ही वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के प्रावधानों के अंतर्गत कर लिया गया था। जबकि प्रतिभूत ऋणदाता जो अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से कार्यरत है, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सारफेसी) की धारा 13(4) के अंतर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्न वर्णित संपत्ति को निम्नांकित बकाया राशि तथा भावी ब्याज, शुल्कों एवं लागतों इत्यादि की वसूली करने के लिये ई–नीलामी पर रखेंगे। संपत्तियों का विक्रय "जैसी है जहां है, यहां जो कुछ भी है एवं बिना संसाधन के आधार पर किया जा रहा है, क्योंकि यह विक्रय किसी भी प्रकार की वारंटी एवं क्षतिपूर्ति के बिना है।

नीचे उल्लिखित संपत्तियां वेबसाइट **https://www.bankeauctions.com** के माध्यम से ऑनलाइन ई–नीलामी के माध्यम से बेची जाएंगी

निरीक्षण तिथि एवं समय : 06.10.2026 को पूर्वा. 11:00 से अप. 03:00 बजे **ई–नीलामी की तिथि एवं समय : 12.10.2026 को पूर्वा. 11:00 से अप 01.00 बजे**

बोली / ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 08.10.2026 को अप. 05:00 बजे

कर्जदार/सह–कर्जदार/ गारंटर का नाम	बकाया राशि	सुरक्षित आस्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य /ईएमडी 10%
उधारकर्ता का नाम विवेकानंद स्वामी, सह–उधारकर्ता का नाम रचना स्वामी,	**ऋण खाता संख्या LOS2025060002999 में रु. 11,06,560/– (रुपये ग्यारह लाख छह हजार पांच सौ साठ मात्र) 08–अप्रैल–2026 तक**	**संपत्ति का समस्त भाग एवं हिस्सा जोकि मकान नंबर 7, पी.एच. नंबर 157, खसरा नंबर 345, वार्ड नंबर 1, हनुमान मंदिर के पास, नरसाय, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश 487441, भारत, क्षेत्रफल–भूमि क्षेत्रफल 1750 वर्ग फुट, निर्मित क्षेत्रफल (सौफुटा) 690 वर्ग फुट सांकेतिक कब्जा दिनांक 03–06–2026 को लिया गया**	रु. 1178000/- रु. 117800/-
उधारकर्ता का नाम दिनेश कुमार, सह–उधारकर्ता का नाम संगीता दांगी,	**ऋण खाता संख्या LOS2025030001348 में रु. 12,77,653/– (रुपये बारह लाख सतहत्तर हजार पांच सौ तिरपन मात्र) 07–मई–2026 तक**	**संपत्ति का समस्त भाग एवं हिस्सा जोकि 126, एन.ए. 18, एन.ए., अमनपुरा, सुसनेर, आगर, शाजापुर, मध्य प्रदेश 465441, भारत, क्षेत्रफल 3910 वर्ग फुट सांकेतिक कब्जा दिनांक 06–08–2026 को लिया गया**	रु. 2173350/- रु. 217335/-
उधारकर्ता का नाम भगवान सिंह दांगी, सह–उधारकर्ता का नाम शीला दांगी	**ऋण खाता संख्या LOS2025010002435 में रु. 17,98,591/– (रुपये सत्रह लाख अट्ठानवे हजार पांच सौ इक्यानवे मात्र) 09–अप्रैल–2026 तक**	**संपत्ति का समस्त भाग एवं हिस्सा जोकि मकान नंबर 194, एन.ए., पी.एच. नंबर 71, एन.ए., ग्राम खिलोचकलां, ग्राम पंचायत खिलोचकलां, खिलचीपुर, राजगढ़, मध्य प्रदेश 465661, भारत, क्षेत्रफल 3500 वर्ग फुट सांकेतिक कब्जा दिनांक 16–07–2026 को लिया गया**	रु. 3403750/- रु. 340375/-

नियम तथा शर्तें:

1. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार किसी भी संपत्ति पर कोई भार नहीं है। तथापि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व नीलामी हेतु रखी गई संपत्तियों पर विद्यमान भारों, संपत्ति के स्वामित्व तथा संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/देय राशियों के संबंध में स्वयं स्वतंत्र जाँच–पड़ताल करनी चाहिए। यह ई–नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी प्रतिबद्धता अथवा अभ्यावेदन का गठन नहीं करता है और न ही ऐसा माना जाएगा। संपत्ति का विक्रय सभी वर्तमान एवं भावी भारों सहित किया जा रहा है, चाहे वे बैंक की जानकारी में हों अथवा नहीं। किसी भी तृतीय पक्ष के दावे/अधिकार/देय राशि/लंबित वैधानिक बकाया/कर आदि के लिए प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
2. बोली प्रस्तुत करने से पूर्व परिसंपत्ति एवं उसके विनिर्देशों का निरीक्षण कर स्वयं संतुष्ट होना बोलीदाताओं का दायित्व होगा। नीलामी हेतु रखी गई संपत्तियों का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाताओं को प्रत्येक संपत्ति के विवरण के समक्ष उल्लिखित स्थल पर करने की अनुमति दी जाएगी।
3. इच्छुक बोलीदाता अपनी बयाना राशि की जानकारी तथा दस्तावेज वेब पोर्टल: https://www.bankeauctions.com के माध्यम से प्रवेश पहचान एवं कूटशब्द का उपयोग कर प्रस्तुत करेंगे। (प्रवेश पहचान एवं कूटशब्द https://www.bankeauctions.com पर नाम पंजीकृत कर निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं।) जिन इच्छुक बोलीदाताओं को प्रवेश पहचान एवं कूटशब्द बनाने, आँकड़े अपलोड करने, बोली दस्तावेज प्रस्तुत करने, ऑनलाइन अंतर–बोली प्रशिक्षण/प्रदर्शन आदि में सहायता की आवश्यकता हो, वे मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट संख्या 68, सेक्टर–44, गुरुग्राम, हरियाणा, पिन–122003, ई–मेल: support@bankeauctions.com, andhra@c1india.com संपर्क संख्या: 7291981124, 25, 26, संपर्क व्यक्तिः श्री धरणी कृष्णा, मोबाइल संख्या +91 9948182222 से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी संपत्ति संबंधी प्रश्न हेतु प्राधिकृत अधिकारी श्री विनय शर्मा, मोबाइल संख्या 8955850834 एवं ई–मेल: vinay.sharma2@dmihousingfinance.in से सोमवार से शुक्रवार कार्य समय के दौरान संपर्क किया जा सकता है।
4. बयाना राशि एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से देय होगी (जिसकी रसीद बोली के साथ संलग्न की जाएगी) तथा इसे अधिकतम 08.10.2026 को सायं 05:00 बजे तक निम्नलिखित खाते में जमा किया जाएगा: एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, बैंक हाउस शाखा, गुरुग्राम, खाता संख्या 00030330020098, खाते का नाम: डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, आईएफएससी कोड: HDFC0000572; अथवा 'डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड' एक्सीबी हाउस, गुलाब भवन, द्वितीय तल, 6, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002 के पक्ष में आहरित मांग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी को संबोधित हो।
5. परिसंपत्तियों का विक्रय आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं किया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी अथवा सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा ई–नीलामी को स्थगित/रद्द/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा और इसके लिए कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
6. सफल बोलीदाता की बयाना राशि को विक्रय प्रतिफल के भाग के रूप में समायोजित कर रखा जाएगा तथा असफल बोलीदाताओं की बयाना राशि नीलामी की तिथि से 7 कार्य दिवसों के भीतर वापस कर दी जाएगी। बयाना राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल बोलीदाता को बयाना राशि समायोजित करते हुए विक्रय मूल्य का 25% तत्काल अर्थात उसी दिन अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक जमा करना होगा तथा विक्रय मूल्य का शेष 75% विक्रय की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी के एकमात्र विवेकाधिकार से लिखित रूप में स्वीकृत विस्तारित अवधि के भीतर जमा करना होगा। विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए बोली प्रस्तुत करने तथा ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व https://www.dmihousingfinance.in तथा https://www.bankeauctions.com का अवलोकन करें।

उधारकर्ता/गारंटर इसे सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के अधीन सूचना मानें तथा एतद्द्वारा उन्हें इस सूचना की तिथि से 30 दिनों के भीतर उपर्युक्त वर्णित संपूर्ण देयता का भुगतान करने का अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है, अन्यथा उपर्युक्त नियमों एवं शर्तों के अनुसार परिसंपत्तियों का विक्रय कर दिया जाएगा।

स्थान: नरसिंहपुर/शाजापुर/राजगढ़, दिनांक: 08.09.2026 हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लि.

JM FINANCIAL HOME LOANS

कॉर्पोरेट पता: जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड, तीसरी मंजिल, सुखसागर आईटी पार्क, प्लॉट नं. 68ई, ऑफ वसंतदादा रोड, बोरिवली ईस्ट, मुंबई–400066, पंजीकृत कार्यालय: पंजीकृत कार्यालय जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड, सातवीं मंजिल, सिनर्जी, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई–400025

नीलामी/ बिक्री नोटिस

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि 'वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002' (सरफासी अधिनियम) और 'प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002' के नियम 8(6) और 9 के तहत, **जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड** (यहाँ आगे **"जेएमएफएचएलएल"** कहा गया है) के पास गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों की नीलामी बिक्री आयोजित की जा रही है। जबकि, नीचे उल्लिखित कर्जदार, सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत जेएमएफएचएलएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की गई तालिका में उल्लिखित तारीख से 60 दिनों के भीतर, जेएमएफएचएलएल को ऋण राशि चुकाने में विफल रहा है।

जबकि, जेएमएफएचएलएल ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसरण में, 'प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002' के नियम 8(1) के प्रावधानों के तहत, और सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के प्रावधानों के तहत तथा उसके अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तालिका में उल्लिखित गिरवी रखी संपत्ति का 'कब्जा' ले लिया है।

जबकि, इसके बाद भी कर्जदार जेएमएफएचएलएल को उपर्युक्त ऋण राशि चुकाने में विफल रहा है, इसलिए जेएमएफएचएलएल के प्राधिकृत अधिकारी ने, नीचे उल्लिखित संपत्ति/संपत्तियों को इच्छुक खरीदारों से **"बोली आमंत्रण–सह–नीलामी"** प्रक्रिया के माध्यम से, "जो है जहाँ है" और "जहाँ है जैसी है" और "जो भी है" आधार पर निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर बेचने का निर्णय लिया है:

कर्जदार और सह–कर्जदार के नाम	मांग नोटिस की तारीख और कब्जा की तारीख	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
1. श्री आशीष कोरी 2. श्रीमती नीतू कोरी	1. 08-Apr-2026 2. 13-Aug-2026	भूमि धारक संपत्ति आईडी संख्या 1001400410, प्लॉट क्षेत्र 450 वर्ग। फीट, भूमि मौजा - कटंगी, पी.एच. क्रमांक 00101, आर.एन.एम., कटंगी, तिलक वार्ड क्रमांक 14, नगर पंचायत कटंगी, तहसील पाटन, जिला। जबलपुर, मध्य प्रदेश - 483105	रु. 7,69,500/- (सात लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ रुपये मात्र)	रु. 76,950/- (छहत्तर हज़ार नौ सौ पचास रुपये मात्र)

संपत्ति का निरीक्षण	:	09-10-2026 को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक
बोली जमा करने की अंतिम तिथि	:	12-10-2026 को शाम 06.00 बजे तक
नीलामी की तिथि	:	13-10-2026 को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे के बीच
नीलामी की स्थान	:	JM फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड, दूसरी मंज़िल, हाउस नंबर 665/370, गोल बाज़ार, शहीद स्मारकपथ, महाकौशल स्कूल के पास, भवानी प्रसाद, तिवारी वार्ड, जबलपुर, मध्य प्रदेश – 482001

बिक्री के नियम और शर्तें:

1. उपर्युक्त संपत्ति का पूरा विवरण प्राधिकृत अधिकारी के पास उपलब्ध है। संपत्ति/दस्तावेज़ों का निरीक्षण प्राधिकृत अधिकारी के साथ तारीख और समय तय करने के बाद किया जा सकता है।
2. नीलामी जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड, दूसरी मंज़िल, मकान नं. 665/370, गोल बाज़ार, शहीद स्मारक पथ, महाकौशल स्कूल के पास, भवानी प्रसाद, तिवारी वार्ड, जबलपुर, मध्य प्रदेश - 482001 में भौतिक रूप से आयोजित की जाएगी।
3. इच्छुक बोलीदाताओं को नीलामी के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहिए और स्वयं भाग लेना चाहिए, तथा लिखित रूप में यह घोषणा देनी चाहिए कि वह स्वयं के लिए बोली लगा रहा है / रही है। किसी भी प्राधिकृत व्यक्ति की अनुमति नहीं है।
4. इच्छुक बोलीदाता जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड, **पता:** दूसरी मंज़िल, मकान नं. 665/370, गोल बाज़ार, शहीद स्मारक पथ, महाकौशल स्कूल के पास, भवानी प्रसाद, तिवारी वार्ड, जबलपुर, मध्य प्रदेश - 482001 से निविदा फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
5. इच्छुक बोलीदाताओं को आरक्षित मूल्य के 10% के बराबर ईएमडी (धरोहर जमा राशि) के लिए "जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड" के पक्ष में जारी किया गया और जबलपुर में आहरणीय हो, पे-ऑर्डर / डिमांग ड्राफ्ट के साथ अपनी बोलियां केवल निर्धारित निविदा फॉर्म में, सीलबंद लिफाफों में यहां अधिसूचित बोली- सह - नीलामी बिक्री की दिनांक 12-10-2026 को शाम 06:00 बजे या उससे पहले जमा करनी चाहिए।
6. संपत्ति के निरीक्षण और अन्य विवरणों के लिए इच्छुक खरीदार संपर्क कर सकते हैं: जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड, **पता: दूसरी मंज़िल, मकान नं. 665/370, गोल बाज़ार, शहीद स्मारक पथ, महाकौशल स्कूल के पास, भवानी प्रसाद, तिवारी वार्ड, जबलपुर, मध्य प्रदेश - 482001 | श्री संजय मेवाड़ा (09977557389)** | संपत्ति "जो है जहां है" और "जहां है जैसी है" और "जो भी है" शर्तों पर बेची जाएगी।
7. सीलबंद टेंडर, अधिसूचित टेंडर - सह - नीलामी की **दिनांक 13-10-2026 को सुबह 11:00 बजे तक** इच्छुक बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोले जाएंगे। हालांकि आम तौर पर यह प्रक्रिया बंद टेंडर के ज़रिए होगी, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी अपने पूरे विवेक से इच्छुक बोली लगाने वालों के बीच एक नीलामी आयोजित कर सकता है। ये वे बोली लगाने वाले होंगे जो बंद टेंडर प्रक्रिया में मिली बोली से ज़्यादा बोली लगाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में, बिक्री उस व्यक्ति को दी जाएगी जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा। हालांकि, यह बिक्री जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड की पुष्टि के अधीन होगी।
8. सफल बोलीकार को राशि का 25% (ईएमडी सहित) "जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड" के पक्ष में जारी किया गया, और जबलपुर में आहरणीय हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम/डीडी/चेक के ज़रिए उसी दिन जमा करना होगा और शेष राशि सफल बोलीकार को जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड द्वारा बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर चुकानी होगी। इच्छुक बोली लगाने वालों द्वारा जमा की गई ईएमडी और बिक्री मूल्य पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। यदि सफल बोलीकार बिक्री की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या कोई चूक करता है, तो ईएमडी या बिक्री मूल्य का 25% (जो भी लागू हो) "जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड" द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।
9. सफल बोलीकार को सभी खर्चों का वहन करना होगा, जिसमें नगर निगम या किसी अन्य प्राधिकरण को देय वैधानिक शुल्क/कर/बिल आदि, और 'बिक्री प्रमाण पत्र' के पंजीकरण के लिए स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि शामिल हैं।
10. जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड, प्रस्तावित संपत्ति के संबंध में या किसी अन्य लागू कानून के तहत, किसी भी प्राधिकरण से कोई अनुमति/अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है। साथ ही, यह किसी भी अन्य बकाया राशि (जैसे पानी/बिजली का बकाया, संपत्ति कर या अन्य शुल्क, यदि कोई हो) के लिए भी कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है।
11. संपत्ति पर कोई भी बकाया, शुल्क, कर, वैट, टीडीएस, जीएसटी, या अन्य प्रभार (चाहे वैधानिक हों या अन्य), जिसमें संपत्ति की बिक्री पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क भी शामिल है, केवल खरीदार द्वारा ही वहन किए जाएंगे।
12. बोलीकार को संपत्ति पर लगे प्रभार/भार/वैधानिक बकाया के संबंध में अपनी ओर से पूरी जांच-पड़ताल करनी चाहिए। उन्हें अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के हक सीमाएं और गुणवत्ता के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट हो जाना चाहिए। बोली जमा करने के बाद, संपत्ति पर लगे प्रभार, भार या किसी अन्य मामले के संबंध में किसी भी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
13. प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी या सभी प्रस्तावों/बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने, या बिना कोई कारण बताए बिक्री को स्थगित/रद्द करने, या बिना किसी पूर्व सूचना के बिक्री की किसी भी शर्त को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार है।
14. अपनी सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार, जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड को बेची जाने वाली संपत्तियों पर किसी भी प्रकार के भार की जानकारी नहीं है। इच्छुक पक्षों को अपनी संतुष्टि के लिए संपत्तियों का अपना स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए। जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड उपर्युक्त संपत्तियों की उपयुक्तता/हक के संबंध में किसी भी तरह की गारंटी नहीं देता है और न ही कोई दावा करता है।

किसी भी अन्य जानकारी के लिए, संपर्क करें: श्री सुनील सिलावट, संपर्क नंबर: 07067902482 या ई-मेल: Ratnesh.trivedi@jmfl.com या ऊपरबताए गए पते पर संपर्क किया जा सकता है।

सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स 2002 के नियम 6(2), 8(6) और 9(1) के तहत 15 दिन का कानूनी नोटिस

- उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/गिरवी रखने वालों को सूचित किया जाता है कि वे नीलामी से पहले ऊपर बताई गई रकम, साथ ही अब तक का ब्याज और अन्य खर्चों का भुगतान करें। ऐसा न करने पर, ऊपर बताई गई गिरवी रखी संपत्ति की नीलामी की जाएगी और अगर कोई बकाया राशि बचती है, तो उसे ब्याज/लागत के साथ वसूला जाएगा। नीलामी के लिए तय तारीख पर अगर कोई बोली नहीं मिलती है, तो सुरक्षित लेनदार (सिक्योर्ड क्रेडिटर) को यह अधिकार होगा कि वह इस संपत्ति को किसी संभावित खरीदार को प्राइवेट ट्रीटी (आपसी समझौते) के ज़रिए बेच सके। उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/गिरवी रखने वालों से कहा जाता है कि वे कब्ज़े में ली गई संपत्ति में रखे सभी घरेलू सामान/निजी सामान (अगर कोई हो) को इस नोटिस की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर हटा लें/शिफ्ट कर लें। यह काम गिरवी रखी संपत्ति का कब्ज़ा लेते समय तैयार किए गए पंचनामा/इन्वेंट्री रिपोर्ट के अनुसार किया जाना चाहिए। अगर इस नोटिस की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों की तय समय-सीमा के भीतर घरेलू सामान/निजी सामान नहीं हटाया जाता है, तो कंपनी उन्हें "जैसी है, जहाँ है, जैसी है, जो है और जो कुछ भी है" (as is where is, as is what is and whatever there is) के आधार पर हटाने/शिफ्ट करने/निपटान करने के लिए मजबूर होगी। ऐसा उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/गिरवी रखने वालों के जोखिम, ज़िम्मेदारी और खर्च पर किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा किए गए किसी भी दावे के लिए कंपनी ज़िम्मेदार नहीं होगी।

स्थान: जबलपुर, मध्य प्रदेश अधिकृत अधिकारी

दिनांक: 08/09/2026 जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड